AADHAAR

DAINIK JAGRAN (SABRANG), Delhi, 5.11.2017

Page No. 4, Size:(24.24)cms X (22.49)cms.

सरकार ने बैंक एकाउंट, मोबाइल नंबर जैसी बहुत सारी सरकारी स्कीम से आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर निर्धारित समय के अंदर इन स्कीम्स को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो इन सेवाओं से वंचित भी रहना पड़ सकता है। आप चाहें, तो इसे ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं...

टेक गाइड

ऐसे करें आधार से लिंक

मोबाइल नंबर और बैंक एकाउंट को आधार से लिंक कराने के लिए एलर्ट और मैसेज आपके पास भी आने लगे होंगे। सरकारी की कई सारी स्कीम हैं, जिन्हें आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। बैंक एकाउंट को 31 दिसंबर, 2017 और मोबाइल सिम कार्ड को 6 फरवरी, 2018 तक लिंक करना जरूरी है। इसके अलावा, पैन कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, पीएफ आदि के लिए भी आधार लिंक करना जरूरी हो गया है।

आधार से पैन कार्ड

अगर अब तक आपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद नहीं करा पाएंगे। पैन कार्ड से आधार को लिंक करना बेहद सरल है। इसके लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग साइट https://incometaxindiaefiling.gov.in को ओपन करें। अगर पहली बार इस साइट पर विजिट कर रहे हैं, तो 'रजिस्टर हियर' पर क्लिक करें। फिर पैन कार्ड की डिटेल देने के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें। इसके बाद लॉगइन करना होगा।

यहां नया पेज खुलेगा, इस पर आपको पैन और आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही आधार कार्ड पर लिखे नाम के अलावा दूसरी मांगी गई डिटेल भरनी होगी। अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड में दी गई डिटेल्स एक जैसी नहीं है, तो उनमें से किसी एक में पहले आपको डिटेल्स बदलवा कर एक जैसी करानी होंगी। अगर आधार और पैन में दी गई डिटेल्स एक जैसी हैं तो आसानी से दोनों लिंक हो जाएंगे। सभी जानकारी भरने और कैप्चा कोड डालने के बाद लिंक आधार पर क्लिक करें। यूआइडीएआइ से वेरिफिकेशन के बाद लिंक की पुष्टि कर दी जाएगी। आप एसएमएस के जरिए भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए UIDPAN<SPACE><12 digit Aadhaar><Space><10 digit PAN> टाइप करने के बाद उसे 567678 या 56161 पर भेज दें।

आधार से पीएफ एकाउंट

सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) खाता से भी आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। अगर अपने पीएफ एकाउंट को आधार से लिंक कर लेते हैं, तो भविष्य में पैसे निकालना या ट्रांसफर करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ऑनलाइन यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) को आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं। यहां आपको बायीं तरफ नीचे पेज 'ऑनलाइन सर्विस' का विकल्प दिखेगा। यहीं पर नीचे 'ई-केवाइसी पोर्टल ' का विकल्प नजर आएगा। इस पर क्लिक करें। यहां पर एक नया विंडो खुलेगा, जिसमें आपको लिंक यूएएन आधार का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा, उसमें आपसे कुछ नई जानकारी मांगी जाएगी। यूएएन नंबर और मोबाइल नंबर के बारे में पूछा जाएगा। यहां उसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें, जो यूएएन नंबर से साथ रजिस्टर है। डिटेल भरने के बाद यूएएन के साथ रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पीएफ धारकों को अपने आधार नंबर को लिखना होगा। इसके बाद एक और ओटीपी आएगा। यह वन टाइम पासवर्ड उस नंबर पर आएगा, जो आधार नंबर के साथ लिंक है। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपका यूएएन आधार से लिंक हो जाएगा।

आधार से मोबाइल नंबर

अगर अब तक आपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं किया है, तो कंपनियों के एसएमएस लगातार आ रहे होंगे। 6 फरवरी, 2018 तक मोबाइल नंबर आधार से लिंक कराना जरूरी है। आप अपने मोबाइल नंबर को आसानी से आधार के साथ लिंक करा सकते हैं। इसके लिए तीन तरीके हैं- वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी), आधार एप और आइवीआरएस। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों, बीमार और दिव्यांगों के घरों पर जाकर री-वेरिफिकेशन कराएं। वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) में सरकार ने टेलिकॉम ऑपरेटर्स को ग्राहकों को ओटीपी सुविधा मुहैया कराने के लिए कहा है। इसके तहत आप अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक करा सकेंगे। यूजर को वेबसाइट और मोबाइल एप पर ओटीपी डालना होगा। एजेंट के जरिए भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक कराया जा सकता है। अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने एजेंट को पूरी ई-केवाइसी जानकारी नहीं देने को कहा है। एजेंट की सहायता से सिम का री-वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसके अलावा, इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आइवीआरएस) के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई एप्स की मदद से भी वेरिफिकेशन कराया जा सकता है।

आधार से बैंक एकाउंट

अगर अब तक आपने अपने बैंक एकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो बैंक की तरफ से एलर्ट मिलने लगे होंगे। अभी बैंक एकाउंट को आधार से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। बैंक एकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ने के दो तरीके हैं – ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन में अपने आधार को बैंक खाते से लिंक कराने के लिए अपने बैंक के नजदीकी ब्रांच में जाना होगा। जहां आपको आधारकार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। इसके बाद बैंककर्मी आपके खाते को आधार से लिंक कर देंगे। दूसरा आप ऑनलाइन भी अपने खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने बैंक एकाउंट पर लॉग इन करें। उसके बाद आपको यहां पर आधार लिंक करने का एक लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने आधार नंबर लिंक करने वाला पेज खुल जाएगा। यहां आधार नंबर व मांगी गई अन्य डिटेल भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार अपडेट होने का मैसेज आ जाएगा।

आधार से ड्राइविंग लाइसेंस

आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करना भी सरल है। आधार-ड्राइविंग लाइसेंस लिंकिंग की प्रक्रिया को लेकर कहा जा रहा है कि यह राज्यवार अलग-अलग रहेगी। लाइसेंस लिंक करने का लिंक संबंधित राज्य के सड़क परिवहन विभाग की वेबसाइट पर दिया जाएगा। वेबसाइट पर जाने के बाद वहां आधार नंबर एंट्री पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस के रूप में सर्च एलिमेंट सलेक्ट करें। यहां अपना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नंबर दर्ज करें। गेट डिटेल्स बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी पूरी डिटेल दिखाई दे जाएगी। इसके नीचे आधार नंबर और मोबाइल नंबर का कॉलम दिखाई देगा। उसके बाद मोबाइल नंबर के साथ 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने पर कंफर्मेशन मैसेज मोबाइल पर भेज दिया जाएगा।

अमित निधि